राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ,जयपुर
Phone: 0141-2227481, 2227555, 2227602 FAX, 2385877 Help Line

क्रमांक :–एफ 8 (01)/बी.बी.ए/रालसा/2013/12736-12770 दिनांक :- 3-9-2013

प्रेषितिः–

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सैशन न्यायाधीश)
समस्त राजस्थान

विषयः– थानो में लगाये गये पैरा लीगल वोलियन्टर्स हेतु गाईड लाईन।
प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 7073–7108 दिनांक 12.7.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में निर्देशानुसार लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बचपन बचाओं आन्दोलन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य, सिविल रिट पीटिशन न0 75/2012 में पारित निर्णय दिनांक 10.5.2013 के कम में प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से थानों में गुमशुदा बालक एवं बालको के विरूद्व अपराध के मामलो में पुलिस की कार्यवाही पर निगरानी रखने हेतु पैरा लीगल वोलियन्टर्स लगाये गये है।

थानों में लगाये गये पैरा लीगल वोलियन्टर्स निम्न प्रकृति के मामलों में स्वयं के स्तर से अपराध की निगरानी रखेगें साथ ही पुलिस द्वारा निर्धारित प्रकिया की अनुपालना भी सुनिश्चित करेंगें एवं पुलिस व पीडित को आवश्यक सहयोग व जानकारी उपलब्ध करवायेगें:–

1. गुमशुदा बालकों के प्रकरण।
2. बाल लैंगिक हिंसा के प्रकरण।
3. बाल तस्करी के प्रकरण
4. बाल श्रम एवं बाल भिक्षावृति के प्रकरण
5. बाल विवाह के प्रकरण
6. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के प्रकरण

गुमशुदा बालकों के प्रकरण में एवं बाल लैंगिक हिंसा के प्रकरण में पैरा लीगल वोलियन्टर्स हेतु गाईड लाईन संलग्न भेजी जा रही है।

निर्देशानुसार लेख है कि थानो में लगाये गये पैरा लीगल वोलियन्टर्स गुमशुदा बालको के मामले मे एवं बालको के विरूद्व उक्त वर्णित प्रकृति के अपराधों के मामले में निर्धारित प्रकिया की पालना सुनिश्चित करवायेंगें एवं स्वयं के स्तर से भी अपराध की निगरानी रखेगें साथ ही गाईड लाईन की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करेंगें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,
3/9/13
(अभय चतुर्वेदी)
सदस्य सचिव

(A) **गुमशुदा बालकों के प्रकरण में पैरा लीगल वालेन्टियर हेतु गाईड लाईन :-**

i. पैरा लीगल वालेन्टियर को जिस थाने में नियुक्त किया गया है, वह नियुक्ति अवधि में प्रतिदिन थाने में जाएगा और गुमशुदा बालकों के मामलों की जानकारी प्राप्त करेगा।

ii. गुमशुदा बालकों के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त वर्णित निर्णय दिनांक 10.05.2013 के क्रम में यह उपधारणा की जाएगी कि प्रत्येक गुमशुदा बालक का अपहरण हुआ है या बाल तस्करी हुई है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो, लिहाजा प्रत्येक बालक की गुमशुदगी के मामले में धारा 154 सी.आर.पी.सी. के तहत आवश्यक रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जावे।

iii. यदि बालक की गुमशुदगी के मामले में उपरोक्त पैरा (ii) से भिन्न तथ्य है, तो पुलिस थाने में ऐसे परिवाद को धारा 155 सी.आर.पी.सी. के प्रयोजन से संधारित रजिस्टर में दर्ज कर संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजा जावेगा तथा संबंधित मजिस्ट्रेट बालकों के मामलों में विशेषतः बालिका के मामलों में ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा 155(2)के तहत शीघ्र कार्यवाही करेगा। पैरा लीगल वालेन्टियर उक्त प्रक्रिया की अनुपालना सुनिश्चित करेगा।

iv. प्रत्येक थानों में किशोर/ बाल कल्याण अधिकारी (पुलिस अधिकारी) होंगें, जिनको धारा 63 जे.जे.एक्ट के तहत प्रशिक्षण दिया गया है। यदि किसी थाने में धारा 63 जे.जे.एक्ट के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किशोर / बाल कल्याण अधिकारी नहीं है, तो पैरा लीगल वालेन्टियर इसकी सूचना संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को देगा।

v. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के चार माह के भीतर यदि कोई गुमशुदा बालक नहीं मिलता है, तो वह प्रकरण मानव तस्करी इकाई को भेजा जावेगा तथा ऐसी मानव तस्करी इकाई प्रत्येक तीन माह से प्रकरण की प्रगति रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजेगी, जिसकी एक प्रति राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को भी भेजी जाएगी।

vi. यदि किसी बालक की गुमशुदगी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नही हुई है तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 10.05.2013 की जानकारी होने के एक माह के भीतर–भीतर ऐसे समस्त प्रकरणों में आवश्यक रूप से थानों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जावेगी।

vii. बालक के मिलने पर प्रकरण समाप्त नही होगा, पुलिस अधिकारी इस बिन्दु पर जांच करेगा कि क्या बालक कि गुमशुदगी में बाल तस्करी की भूमिका है. यदि हॉ तो, ऐसे लिंक बाबत् अनुसंधान करेगा और आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

viii. गुमशुदा बालको की सूचना को जिपनेट व **www.trackthemmissingchild.gov.in** पर मय फोटो अपलोड करना सुनिश्चित किया जावेगा।

ix. गुमशुदा बालकों के संबंध में समस्त जानकारी निम्न को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगें :-

1. जिला मानव तस्करी एवं गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ (जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय)।
2. राज्य स्तरीय मानव तस्करी एवं गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ (राजस्थान पुलिस मुख्यालय, हवा महल के पीछे जयपुर)।
3. स्टेट क्राईम रिपोर्ट ब्यूरो (राजस्थान पुलिस अकादमी, पानीपेच, जयपुर)।
4. नेशनल क्राईम रिपोर्ट ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
6. जिला बाल कल्याण समिति।

x. प्रत्येक गुमशुदा बालक के मिलने पर ऐसे बालक के फोटोग्राफ समाचार पत्र / वेब साईट, टी.वी व रेडियों पर प्रकाशित/प्रसारित किया जावेगा ताकि गुमशुदा बालक के परिजनों को इसकी सूचना मिल सके।

xi. पैरा लीगल वालेन्टियर गुमशुदा बालक के परिवारजन से भी सतत सम्पर्क रखेगा और किये जा रहे कार्यों से अवगत करायेगा।

xii. गुमशुदा बालक के वापिस मिलने पर उसके माता/पिता/अभिभावक के संरक्षण में पहुॅचना सुनिश्चित करेगा।

xiii. किसी बालक को पुलिस सीधे ही प्राईवेट बाल गृह में नहीं भेज सकती है। पुलिस जे.जे.एक्ट के तहत पंजीकृत बाल गृह मे बाल कल्याण समिति के माध्यम से ही बालक को बाल गृह में भेज सकती है।

---------xx-----------

B. बाल लैंगिक हिंसा के प्रकरण में पैरा लीगल वालेन्टियर हेतु गाईड लाईन :–

1. भारतीय संसद द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं नियम 2012 '' 14.11.2012 से सम्पूर्ण भारत वर्ष में लागू किया गया है।

2. इस अधिनियम द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के एवं लड़कियों के विरूद्ध होने वाली विभिन्न प्रकार की यौन हिंसा को अपराध घोषित किया गया है। यह कानून लिंग समान (gender neutral) है, इस में पीड़ित व्यक्ति लड़का या लड़की कोई भी हो सकते है।

3. पीड़ित बालक के बयान लिखते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नही होगा । पीड़ित बालक को किसी भी कारण से रात्रि में पुलिस थाने में नहीं रखा जायेगा।

4. बालक के बयान साधारणतया जहॉ वह निवास करता है या उसके पसंद के स्थान पर लिखे जायेगें, तथा जहॉ तक संभव हो उपनिरीक्षक से अन्यून किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिखे जायेगें।

5. पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि बालक की पहचान पब्लिक मिडिया से संरक्षित रहे जब तक की बालक के हित में न्यायालय द्वारा निर्देश नही दिया गया हो।

6. पुलिस यह भी सुनिश्चित करेगी कि बालक अभियुक्त के सम्पर्क में नहीं आवे।

7. पीड़ित बालक के बयान उसके परिवार जन या किसी अन्य व्यक्ति जिस पर बालक भरोसा या विश्वास करता हो, की उपस्थित में अथवा किसी एन.जी.ओ. के प्रतिनिधि / समर्थन व्यक्ति / बाल कल्याण अधिकारी द्वारा नामित व्यक्ति के उपस्थिति में दर्ज किये जाऐंगें।

8. पीड़ित बालक के बयान को अक्षरशः दर्ज किया जावेगा, जहॉ आवश्यक है वहॉ बालक के कथन / बयानों की आडियो–विडियो रिकार्डिगं की जायेगी।

9. प्रत्येक मामले में रिपोर्ट 24 घंटे के अन्दर बाल कल्याण समिति और संबंधित विशेष न्यायालय को प्रेषित की जाऐगी।

10. जहॉ बालक के विरूद्ध परिवार के किसी सदस्य द्वारा लैंगिक अपराध की शिकायत मिलती है वहॉ बालक को 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जावेगा तथा बाल कल्याण समिति तीन दिवस के भीतर **निर्णय** लेगा कि बालक को उसके कुटुबं की साझी गृहस्थ की अभिरक्षा से **अलग ले**

11. जाने और उसे किसी बालगृह या आश्रयगृह में रखने की आवश्यकता है अथवा नही ?

12. पीड़ित बालक की चिकित्सा करते समय डाक्टर प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद रजिस्टर होने की मांग नही कर सकता है।

13. प्रवेशन लैंगिक हमले के मामले में कोई भी सरकारी या प्राईवेट डाक्टर निःशुल्क ईलाज करने से मना नही कर सकता है तथा मजिस्ट्रेट या पुलिस के आदेश की मांग भी नही कर सकता है।

14. बालिका की चिकित्सीय जॉच महिला डाक्टर द्वारा ही की जाऐगी।

15. इस अधिनियम के जरिये आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तय की गयी है।

16. पीड़ित बालक या उसके परिवारजन पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत नियमानुसार मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

17. इस अधिनियम के जरिये बालक या बालिका का अश्लील प्रयोजन से पीछा करना, इशारे करना अश्लील फोटो लेना या मोबाईल या कम्पूटर में डाउन लोड करना, लैंगिक उत्पीड़न / लैंगिक शोषण , लैंगिक प्रताड़ना / अश्लील चित्र दिखाना, बालको से अश्लील टिप्पणी आदि सभी से सुरक्षा प्रदान की गई है।

18. सहायक व्यक्ति (suport person) ऐसा व्यक्ति होता है, जिसे बाल कल्याण समिति पीड़ित बालक की सहायता के लिए नियुक्त करती है। ऐसे सहायक व्यक्ति को अन्वेषण जांच व विचारण के दौरान बालक की सहायता करने का अधिकार होता है, लिहाजा बालक के बयान लेते समय तथा चिकित्सीय जांच के समय बालक की सहमति के बिना सहायक व्यक्ति को हटाया नही जा सकता है।

19. मानसिक या शारीरिक निःशक्तता वाले बालक के मामले में किसी विशेष शिक्षक या बालक से सम्पर्क की रीति से सुपरिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ से जो ऐसी योग्यता या अनुभव रखता है, निर्धारित फीस पर मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी सहायता ले सकेगा।

20. बालक द्वारा बोली जाने वाली भाषा और राज्य की राज भाषा अलग–अलग होने

21. विशेष न्यायालय द्वारा आवश्यकता होने पर सहायता ली जा सकेगी। ऐसे व्यक्तियों का रजिस्टर जिला बाल संरक्षण ईकाई संधारित करेगी।

22. POCSO नियम 3(6) के तहत ऐसे द्विभाषीय, अनुवादक , विशेष शिक्षक या विशेषज्ञों की सेवाओं का भुगतान जे.जे.एक्ट की धारा 61 के अधीन अनुरक्षित निधि से या जिला बाल संरक्षण इकाई के नियन्त्रण वाली निधि से निर्धारित दरों पर भुगतान किया जावेगा।

---------XX-----------

(A) **गुमशुदा बालकों के प्रकरण में पैरा लीगल वालेन्टियर हेतु गाईड लाईन** :–

i. पैरा लीगल वालेन्टियर को जिस थाने में नियुक्त किया गया है, वह नियुक्ति अवधि में प्रतिदिन थाने में जाएगा और गुमशुदा बालकों के मामलों की जानकारी प्राप्त करेगा।

ii. गुमशुदा बालकों के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त वर्णित निर्णय दिनांक 10.05.2013 के क्रम में यह उपधारणा की जाएगी कि प्रत्येक गुमशुदा बालक का अपहरण हुआ है या बाल तस्करी हुई है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो, हिलाजा प्रत्येक बालक की गुमशुदगी के मामले में धारा 154 सी.आर.पी.सी. के तहत आवश्यक रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जावे।

iii. यदि बालक की गुमशुदगी के मामले में उपरोक्त पैरा (ii) से भिन्न तथ्य है, तो पुलिस थाने में ऐसे परिवाद को धारा 155 सी.आर.पी.सी. के प्रयोजन से संधारित रजिस्टर में दर्ज कर संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजा जावेगा तथा संबंधित मजिस्ट्रेट बालकों के मामलों में विशेषतः बालिका के मामलों में ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा 155(2)के तहत शीघ्र कार्यवाही करेगा।
पैरा लीगल वालेन्टियर उक्त प्रक्रिया की अनुपालना सुनिश्चित करेगा।

iv. प्रत्येक थानों में किशोर/ बाल कल्याण अधिकारी (पुलिस अधिकारी) होंगें, जिनको धारा 63 जे.जे.एक्ट के तहत प्रशिक्षण दिया गया है। यदि किसी थाने में धारा 63 जे.जे.एक्ट के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किशोर / बाल कल्याण अधिकारी नहीं है, तो पैरा लीगल वालेन्टियर इसकी सूचना संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को देगा।

v. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के चार माह के भीतर यदि कोई गुमशुदा बालक नहीं मिलता है, तो वह प्रकरण मानव तस्करी इकाई को भेजा जावेगा तथा ऐसी मानव तस्करी इकाई प्रत्येक तीन माह से प्रकरण की प्रगती रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजेगी, जिसकी एक प्रति राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को भी भेजी जाएगी।

vi. यदि किसी बालक की गुमशुदगी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नही हुई है तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 10.05.2013 की जानकारी होने के एक माह के भीतर–भीतर ऐसे समस्त प्रकरणों में आवश्यक रूप से थानों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जावेगी।

vii. बालक के मिलने पर प्रकरण समाप्त नही होगा, पुलिस अधिकारी इस बिन्दु पर जांच करेगा कि क्या बालक कि गुमशुदगी में बाल तस्करी की भूमिका है, यदि हॉ तो, ऐसे लिंक बाबत् अनुसंधान करेगा और आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

viii. गुमशुदा बालको की सूचना को जिपनेट व **www.trackthemmissingchild.gov.in** पर मय फोटो अपलोड करना सुनिश्चित किया जावेगा।

ix. गुमशुदा बालकों के संबंध में समस्त जानकारी निम्न को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगें :–

1. जिला मानव तस्करी एवं गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ (जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय)।
2. राज्य स्तरीय मानव तस्करी एवं गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ (राजस्थान पुलिस मुख्यालय, हवा महल के पीछे जयपुर)।
3. स्टेट क्राईम रिपोर्ट ब्यूरो (राजस्थान पुलिस अकादमी, पानीपेच, जयपुर)।
4. नेशनल क्राईम रिपोर्ट ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
6. जिला बाल कल्याण समिति।

x. प्रत्येक गुमशुदा बालक के मिलने पर ऐसे बालक के फोटोग्राफ समाचार पत्र / वेब साईट, टी.वी व रेडियों पर प्रकाशित/प्रसारित किया जावेगा ताकि गुमशुदा बालक के परिजनों को इसकी सूचना मिल सके।

xi. पैरा लीगल वालेन्टियर गुमशुदा बालक के परिवारजन से भी सतत सम्पर्क रखेगा और किये जा रहे कार्यों से अवगत करायेगा।

xii. गुमशुदा बालक के वापिस मिलने पर उसके माता/पिता/अभिभावक के संरक्षण में पहुँचना सुनिश्चित करेगा।

xiii. किसी बालक को पुलिस सीधे ही प्राईवेट बाल गृह में नहीं भेज सकती है। पुलिस जे.जे.एक्ट के तहत पंजीकृत बाल गृह मे बाल कल्याण समिति के माध्यम से ही बालक को बाल गृह में भेज सकती है।